



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 16 अगस्त 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक संवत्) [संख्या 33

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	433—456	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	879—886	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	59—72	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1251-1261	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय ज्ञाप

25 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 3055/चि0-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (नेफ्रोलॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

- (2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
- (3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
- (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
- (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
- (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
- (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-3055/चि0-3-2024, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00914655000 0004	1	डा0 लक्ष्य कुमार पुत्र श्री वीरी सिंह	नेफ्रोलॉजिस्ट	UR/ OBC	म0नं0-685 नगला गुजरा, पो0-मिधाकुर, आगरा, उत्तर प्रदेश-283105	म0नं0-685 नगला गुजरा, पो0-मिधाकुर, आगरा, उत्तर प्रदेश-283105	मलखान सिंह मण्डलीय जिला चिकित्सालय अलीगढ़

सं0 3056/चि0-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (कार्डियोलॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-3056/चि0-3-2024, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00915355000 0004	5	डा0 धनंजय मिश्रा पुत्र श्री सभापति मिश्रा	कार्डियोलॉजिस्ट	UR/ GEN	ग्राम-वैरियरपुर पोस्ट तमकुही राज जनपद कुशीनगर उ0प्र0 274407	ग्राम- वैरियरपुर पोस्ट तमकुही राज जनपद कुशीनगर उ0प्र0 274407	जिला संयुक्त चिकित्सालय महराजगंज

सं0 3057/चि0-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (पैथालॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-3057/चि0-3-2024, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00918855000 0017	4	डा0 रुचि यादव पुत्री श्री शिवबरन यादव	पैथालॉजिस्ट	UR/ OBC/ FEM	श्री अशोक कुमार मिश्रा डुमरियागंज बैदुल्लाह चौराहा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश- 272189	श्री अशोक कुमार मिश्रा डुमरियागंज बैदुल्लाह चौराहा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश- 272189	मण्डलीय जिला चिकित्सालय बस्ती
1	00916255000 0006	11	डा0 सौम्या सिंह राजपूत पुत्री श्री मंगल सिंह राजपूत	पैथालॉजिस्ट	OBC/ FEM	श्री योगेश कुमार पुरवा दनशाह, पो0-सहार, औरैया, उत्तर प्रदेश- 206248	श्री योगेश कुमार पुरवा दनशाह, पो0-सहार, औरैया, उत्तर प्रदेश- 206248	डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय इटवा

सं0 3064/चि0-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (जनरल सर्जन) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-3064/चि0-3-2024, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00915755000 0099	7	डा0 अनवर अहमद सिद्दीकी पुत्र श्री जमीरुद्दीन सिद्दीकी	जनरल सर्जन	UR/ GEN	अनवर अहमद सिद्दीकी, ए82 ए, सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226016	अनवर अहमद सिद्दीकी, ए82 ए, सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226016	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	00917855000 0011	13	डा0 मो0 दानिश पुत्र श्री जलील अहमद	जनरल सर्जन	UR/ OBC	म0नं0 372 माण्टेसरी स्कूल के पास जलालपुर अम्बेडकर नगर 224149	म0नं0 372 माण्टेसरी स्कूल के पास जलालपुर अम्बेडकर नगर 224149	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकर नगर
3	00915155000 0004	18	डा0 शिवानी क्षीरसागर पुत्री श्री नन्द क्षीरसागर	जनरल सर्जन	UR/ GEN/ FEM	डा0 अंशु अग्रवाल मो0 दुबे बिलासपुर 117 पीलीभीत 262201	डा0 अंशु अग्रवाल मो0 दुबे बिलासपुर 117 पीलीभीत 262201	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत
4	02342255000 0001	21	डा0 सूरज कस्तवार पुत्र श्री रवि कास्तवार	जनरल सर्जन	UR/ GEN	वार्ड नं0-11 शीतल मोटर्स पार्ट बरौनी दातिया मध्य प्रदेश- 475686	वार्ड नं0-11 शीतल मोटर्स पार्ट बरौनी दातिया मध्य प्रदेश-475686	एम0एम0 जी0 जिला चिकित्सालय, गाजियाबाद
5	00917555000 0045	27	डा0 अनिल सोनकर पुत्र श्री संतोष कुमार सोनकर	जनरल सर्जन	UR/ SC	टाउन एरिया वार्ड नं0-9 जंघई, 11 प्रयागराज 221503	टाउन एरिया वार्ड नं0-9 जंघई, 11 प्रयागराज 221503	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज
6	00918055000 0002	28	डा0 दिवाकर दत्त त्रिपाठी पुत्र श्री संतोषी लाल त्रिपाठी	जनरल सर्जन	UR/ GEN	मरवट भाडवानी नन्दवल, बहराईच, उत्तर प्रदेश 271902	डा0 अंजली पाठक, कक्ष संख्या-33 न्यू मैरीड हास्टल, हैलेट हास्पिटल, जी0एस0वी0 एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश 208002	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराईच

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	00914555000 00015	31	डा० विश्व बन्धु गौतम पुत्र श्री प्रमोद कुमार गौतम	जनरल सर्जन	UR/ GEN	416 नरायनपुरी धौलीप्यारु मथुरा 281001	416 नरायनपुरी धौलीप्यारु मथुरा 281001	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा
8	00914655000 0049	35	डा० कमलेन्द्र सिंह चौधरी श्री ओम प्रकाश चौधरी	जनरल सर्जन	UR/ OBC	नागला हवेली दयाल बाग, आगरा 282005	नागला हवेली दयाल बाग, आगरा 282005	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा

सं० 3065/चि०-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु० 6,600/- चिकित्साधिकारी (स्त्रीरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी०सी०, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-3065/चि0-3-2024, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0193415500 00002	2	डा0 जाग्रति पाण्डेय पुत्री श्री हीरा लाल पाण्डेय	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	मिश्रा भवन, द्वितीय तल 34 राम हावड़ा, पश्चिम बंगाल- 711101	मिश्रा भवन, द्वितीय तल 34 राम हावड़ा, पश्चिम बंगाल- 711101	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर
2	0091695500 00006	6	डा0 निहारिका सिंह पुत्री श्री शरद कुमार सिंह	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	डा0 गौरव सिंह म0नं0- 89 ग्राम भरवा, महराजगंज, उत्तर प्रदेश 273163	डा0 गौरव सिंह म0नं0- 89 ग्राम भरवा, महराजगंज, उत्तर प्रदेश 273163	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महराजगंज
3	0091975500 00034	10	डा0 आकांक्षा चतुर्वेदी पुत्री श्री उमेश चन्द्र चौबे	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	म0नं0-401 सी01 ग्राम व पोस्ट- चौबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221104	म0नं0-401 सी01 ग्राम व पोस्ट- चौबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221104	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	0091645500 00063	17	डा0 सना खान पुत्री श्री मो0 अजीज खान	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	मो0 एहतेशाम खान नमक फैक्ट्री के पास रहमत नगर, रावतपुर कानपुर नगर 208019	मो0 एहतेशाम खान नमक फैक्ट्री के पास रहमत नगर, रावतपुर कानपुर नगर 208019	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात
5	0091885500 00075	19	डा0 पूजा पुत्री श्री फूल चन्द	स्त्रीरोग	UR/ SC/ FEM	फुलवरिया महुई सुधारपुर काली मन्दिर के पास शिवपुरी न्यू कालोनी, गोरखपुर- 273016	फुलवरिया महुई सुधारपुर काली मन्दिर के पास शिवपुरी न्यू कालोनी, गोरखपुर- 273016	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकर नगर
6	0091405500 00043	28	डा0 प्रिया सिंह पुत्री श्री सुभाष सिंह	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	बी03570 ए17 जगरनाथ धाम कालोनी सरायनन्दन वाणा, मौमुरगंज, वाराणसी 221010	टी0101 निपुन सैफन वैली ग्रांट ट्रंक रोड चिकम्बरपुर गाजियाबाद 201005	जिला संयुक्त चिकित्सालय, हापुड़
7	0091575500 00158	35	डा0 गायत्री मिश्रा पुत्री श्री बृज किशोर मिश्रा	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	महेन्द्र प्रताप चौहान ग्राम व पो0- गोल्हागौर, जौनपुर 223103	महेन्द्र प्रताप चौहान 14448 विकास नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226022	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर
8	0091405500 00066	45	डा0 अंकिता चौधरी पुत्री श्री अनिल कुमार	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	प्लॉट-20ए अजय पार्क वी0बी0एम0 स्कूल के पास नजफगढ़ पश्चिम दिल्ली- 110043	प्लॉट-20ए अजय पार्क वी0बी0एम0 स्कूल के पास नजफगढ़ पश्चिम दिल्ली- 110043	जिला महिला चिकित्सालय, गाजियाबाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	0096855500 00001	50	डा० अनिल कुमार पुत्र श्री छिधा सिंह	स्त्रीरोग	UR/SC	116ए पीलखुवा मोहल्ला सुखलौन हापुड़ 245304	पी० 6ए पाण्डव नगर मयूर विहार फेज-1 ईस्ट दिल्ली 110091	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़
10	0092015500 00007	66	डा० पूनम शाक्य पुत्री श्री हाकिम सिंह शाक्य	स्त्रीरोग	OBC/ FEM	अंशुल शाक्य म०न० 312 गली नं०-2 विजय नगर कालोनी, इटावा 206001	राजीव अग्रवाल 37ए द्वारिका ऑर्किड सोसाईटी सिकन्दरा आगरा 282007	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद

सं० 3066/चि०-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु० 6,600/- चिकित्साधिकारी (नेत्र रोग) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी०सी०, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-3066/चि0-3-2024, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00914255000 0003	2	डा0 कीर्ति सिंह पुत्री श्री ओमपाल सिंह	नेत्ररोग	UR/ SC/ FEM	म0नं0-के03 सरिता विहार नई दिल्ली- 110076	म0नं0-के03 सरिता विहार नई दिल्ली- 110076	100 शैय्या पुलिस चिकित्सालय अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद
2	00919755000 0085	4	डा0 शिप्रा सिंह पुत्री श्री राजेश सिंह	नेत्ररोग	UR/ GEN/ FEM	म0नं0-ए-2 अशोक नगर पाण्डेयपुर तपोवन आश्रम, वाराणसी उत्तर प्रदेश-221007	म0नं0-ए-2 अशोक नगर पाण्डेयपुर तपोवन आश्रम, वाराणसी उत्तर प्रदेश-221007	जिला चिकित्सालय रायबरेली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	00914055000 0007	12	डा० जुबिन सिंह पुत्र श्री कुर्वर पाल सिंह	नेत्ररोग	SC	म०नं०-बी०-267 स्वर्ण जयन्तीपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201013	म०नं०-बी०-267 स्वर्ण जयन्तीपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201013	100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय डिबाई बुलन्दशहर
4	00914055000 0016	15	डा० नदीम पुत्र श्री सलीम अहमद	नेत्ररोग	-	बी०-351 गली नं०-22ए विजय पार्क माउजपुर, 305 उत्तर पूर्व दिल्ली 110053	बी०-351 गली नं०-22ए विजय पार्क माउजपुर, 305 उत्तर पूर्व दिल्ली 110053	50 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, लोनी गाजियाबाद
5	00919155000 0048	18	डा० संतोष कुमार पुत्र श्री राजमूरत यादव	नेत्ररोग	OBC	म०नं०-204 ग्राम कटार, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश-223222	सुरेन्द्र बहादुर यादव 1601 प्रथम टावर ग्रेट वैल्यू सरणम् सेक्टर-107 गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301	मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय प्रयागराज

सं० 3067/चि०-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु० 6,600/- चिकित्साधिकारी (बालरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-3067/चि0-3-2024, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र० सं०	रजि० क्र०	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	009180550000 006	4	डा० विपुल अग्रवाल पुत्र श्री संजीव कुमार अग्रवाल	बालरोग	UR/ GEN	म०नं०-599 गुलामअली पुरा दरगाह रोड, बहराईच 271801	म०नं०-599 गुलामअली पुरा दरगाह रोड, बहराईच 271801	संयुक्त जिला चिकित्सालय श्रावस्ती
2	009197550000 086	7	डा० रेनू पुत्री श्री यादव राधेश्याम आर०	बालरोग	UR/ OBC/ FEM	प्राईमरी स्कूल के सामने फुलवरिया, वाराणसी कैण्ट- 221106	प्राईमरी स्कूल के सामने फुलवरिया, वाराणसी कैण्ट- 221106	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	008127550000 001	24	डा0 द्विव्या जैन पुत्री श्री ललित कुमार जैन	बालरोग	UR/ GEN/ FEM	गली नं0-3 मोती नगर कालोनी मां नेत्रालय हॉस्पिटल के पास, अमरोहा- 244221	गली नं0-3 मोती नगर कालोनी मां नेत्रालय हॉस्पिटल के पास, अमरोहा- 244221	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा
4	027517550000 003	40	डा0 सिंह कुर्वर रविजीत पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह	बालरोग	UR/ GEN	जे/304 गीता पैलेस गीता नगर फेज-06 मीरा रोड ईस्ट थाने महाराष्ट्र 401107	जे/304 गीता पैलेस गीता नगर फेज-06 मीरा रोड ईस्ट थाने महाराष्ट्र 401107	50 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, किटौर मेरठ
5	009157550000 029	51	डा0 अभिषेक दूबे पुत्र श्री मनोज दूबे	बालरोग	UR/ GEN	1/367 विराम खण्ड गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010	1/367 विराम खण्ड गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव

सं0 3068/चि0-3-2024-अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (हड्डी रोग) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-

2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-3068/चि0-3-2024, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00914055000 0033	9	डा0 पवन दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे	हड्डीरोग	UR/ GEN	प्रमोद द्विवेदी आदर्श निकेतन 3/6 दीपक विहार खोडा कालोनी नियर साहिल पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201309	प्रमोद द्विवेदी आदर्श निकेतन 3/6 दीपक विहार खोडा कालोनी नियर साहिल पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201309	100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, धामपुर बिजनौर
2	00917555000 0036	12	डा0 अजय जयसवाल पुत्र श्री महेन्द्र जयसवाल	हड्डीरोग	OBC	8/1 पुराना फाफामऊ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, 211013	8/1 पुराना फाफामऊ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, 211013	जिला संयुक्त चिकित्सालय बागपत

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	00917355000 0036	20	डा0 आलोक कुमार द्विवेदी पुत्र श्री राम लखन द्विवेदी	हड्डीरोग	EWS	ग्राम सामापुर, पो0-लतारागढ़ी, मानिकपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-230202	ग्राम सामापुर, पो0-लतारागढ़ी, मानिकपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-230202	100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, शिवसतपुर अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़

02 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 4049/चि0-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (पब्लिक हेल्थ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-4049/चि0-3-2024, दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/ पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500011279	मुख्य सूची में श्रीतेश मिश्रा का नाम पूर्व में क्रमांक-02 पर चयनित अभ्यर्थी गगन दीप कौर रजि0नं0- 54500016149 श्रेणी-सामान्य/ ई0 डब्लू0 एस0/ महिला/ औप0 के नीचे तथा मुख्य सूची के क्रमांक- 04 पर चयनित अभ्यर्थी प्रदीप कुमार गौतम रजि0सं0- 54500014124 श्रेणी अनुसूचित जाति/औप0 के ऊपर अवस्थित होगा	डा0 श्रीतेश मिश्रा पुत्र श्री काशी नाथ मिश्रा	पब्लिक हेल्थ	UR/ GEN/ EWS	काशीनाथ मिश्रा ग्राम- चुरिया पो0- सलेमपुर देवरिया, उ0प्र0- 274502	डा0 मिश्रा एन0 8180 ई0- 06 कैलाशपुरी कालोनी, नेवादा सुन्दरपुर, वाराणसी उ0प्र0- 221005	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़

सं0 4050/चि0-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (पैथालॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं०-4050/चि०-3-2024, दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र० सं०	रजि० क्र०	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/ पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500003395	मुख्य सूची में पूजा द्विवेदी का नाम पूर्व में मुख्य सूची के क्रमांक-04 पर चयनित अभ्यर्थी ममता द्विवेदी (अना०/ई० डब्लू० एस०/ के सापेक्ष/ महिला) के नीचे अवस्थित रहेगा	डा० पूजा द्विवेदी पुत्री/पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	पैथालॉजिस्ट	UR/ EWS/ FEM	राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी 348/10 हरि सिंह कैम्पस गली नं०-07 महावीर नगर, फिरोजाबाद, उ०प्र० 283203	राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी 348/10 हरि सिंह कैम्पस गली नं०-07 महावीर नगर, फिरोजाबाद, उ०प्र० 283203	जिला महिला चिकित्सालय मैनपुरी

सं० 4051/चि०-3-2024-अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ०प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु० 6,600/- चिकित्साधिकारी (मनोरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ०प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-

7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-4051/चि0-3-2024, दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/ पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500016575	अभ्यर्थी डा0 अभिनेश नन्द का नाम मुख्य सूची के दिलीप कुमार मौर्य (रजि0सं0-54500012737 श्रेणी ओ0बी0सी0) के नीचे तथा अब्दुल हलीम) रजिस्ट्रेशन सं0- 54500006046 श्रेणी ओ0बी0सी0/पी0एच0/औप0) के ऊपर अवस्थित होगा	डा0 अभिनेश नन्द पुत्र श्री एन0एल0 किरार	मनोरोग	UR/ GEN/ EWS	सी-81, करमपुरा, पश्चिमी दिल्ली- 110015	सी-81, करमपुरा, पश्चिमी दिल्ली- 110015	जिला संयुक्त चिकित्सालय सम्भल

सं0 4052/चि0-3-2024—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (न्यूरो सर्जन) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं०-4052/चि०-3-2024, दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 की तैनाती सूची

क्र० सं०	रजि० क्र०	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	55000049285	6	डा० गौरव श्रीवास्तव पुत्र श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव	न्यूरो सर्जन	UR/ GEN	3/1127 निरंजन विहार कालोनी, रामपुर, रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221008	3/1127 निरंजन विहार कालोनी, रामपुर, रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221008	बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ

शिव सहाय अवस्थी,

विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

बुलन्दशहर, के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

24 फरवरी, 2024 ई०

सं० 1438/डी०एल०आर०सी०/2023-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम जहानपुर परगना व तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उपजिलाधिकारी, खुर्जा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21 फरवरी, 2024 के साथ उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 20 फरवरी, 2024 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि गाटा संख्या-06 क्षेत्रफल 0.405 हे० व गाटा संख्या-07 क्षेत्रफल 3.000 हे० कुल 02 किता क्षेत्रफल 3.405 हे० बेसिक शिक्षा विभाग के निर्वतन में रखते हुए मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा 12) के निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम / कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
हेक्टेयर—							
बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	जहानपुर	06	0.405	शोर	उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग के निर्वतन में रखते हुए मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा 12) के निर्माण हेतु
				07	3.000	शोर	
योग ...				3.405			

30 अप्रैल, 2024 ई०

सं० 1505/डी०एल०आर०सी०/2024—शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी-बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम गहनागोवरधनपुर, परगना व तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उपजिलाधिकारी, अनूपशहर द्वारा प्रस्तुत पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के आधार पर अनुसूची में वर्णित गाटा संख्या-686 क्षेत्रफल 1.201 हे० में से 0.620 हे० (बंजर) भूमि बेसिक शिक्षा विभाग के निर्वतन में रखते हुए कस्तूरबा गौंधी बालिका विद्यालय जहाँगीराबाद (कक्षा 9 से 12) तक के निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
बुलन्दशहर	अनूपशहर	अनूपशहर	गहना गोवरधनपुर	686	1.201 हे० में से 0. 620 हेक्टेयर	बंजर	उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग के निर्वतन में रखते हुए कस्तूरबा गौंधी बालिका विद्यालय जहाँगीराबाद (कक्षा 9 से 12) के निर्माण हेतु

चन्द्र प्रकाश सिंह,
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

जनता के प्रयोजनार्थ की विज्ञप्ति

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1),

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश

दिनांक : 28 जुलाई, 2025 ई०

सं० 448/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2025-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्मल (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद मुरादाबाद तहसील बिलारी परगना बिलारी ग्राम मकनपुर, नमैनी उदैया, मौहम्मद सादिकपुर, असालत नगर कलीजपुर. तहसील बिलारी परगना बिलारी, में कुल 0.5836 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1308/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2024 दिनांक 28 जून, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद मुरादाबाद तहसील बिलारी परगना बिलारी ग्राम मकनपुर, नमैनी उदैया, मौहम्मद सादिकपुर, असालत नगर कलीजपुर, तहसील बिलारी परगना बिलारी, में कुल 0.5836 हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु.....मुरादाबाद कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ निम्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मुरादाबाद	बिलारी	बिलारी	मकनपुर	179	0.1260
				314	0.0120
				237	0.0618
				240	0.0164
				244	0.1008
				49	0.0232
				61	0.0050
				207	0.0108
				योग.....	0.3560

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मुरादाबाद	बिलारी	बिलारी	नमैनीउदैया	47	0.0437
				योग ...	0.0437
			मौहम्मद	772 / 1053	0.0378
			सादिकपुर	772 / 1054	0.0234
				772 / 1055	0.0189
				772 / 1056	0.0042
				772 / 1057	0.0006
				902	0.0580
				योग ...	0.1429
		असालत नगर कलीजपुर		575 / 7	0.0273
				575 मि0	0.0137
				योग ...	0.0410
				ग्रामों का कुल योग	0.5836

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

----- विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य" -----

टिप्पणी:— उक्त भूमि का स्थल नक्शा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्मल (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगानहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद मुरादाबाद तहसील बिलारी परगना बिलारी ग्राम मकनपुर, नमैनी उदैया, मौहम्मद सादिकपुर, असालत नगर कलीजपुर.तहसील

बिलारी परगना बिलारी, मेंकुल 0.5836....हे0 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1308 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, मुरादाबाद।

FORM-19

[Sub-Rule (1) of Rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

DATE- 28-07-2025

NOTIFICATION

No. 448/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2025—Where as Preliminary Notification No-1308 dated 28.06.2024 was issued under Sub-Section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.5836 hectares of land in Village- MAKANPUR, NAVAINI UDDAIYA, MOHAMMAD SADIKPUR, ASAALAT NAGAR KALIZPUR, Pargana BILARI Tehsil BILARI, District MORADABAD is required for public purpose, namely, project MADHYA GANGA CANAL PHASE 2nd through IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH THROUGH EXECUTIVE ENGINEER MADHYA GANGA CANAL CONSTRUCTION DIVISION-9, SAMBHAL (Name of requiring body) and lastly published on dated The Deputy Collector/Assistant Collector Was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub Section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of 0.5836 hectares in Village- MAKANPUR, NAVAINI UDDAIYA, MOHAMMAD SADIKPUR, ASAALAT NAGAR KALIZPUR, Pargana BILARI Tehsil BILARI, District MORADABAD as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-Section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of MORADABAD to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A**(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)**

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
MORADABAD	BILARI	BILARI	MAKANPUR	179	0.1260
				314	0.0120
				237	0.0618
				240	0.0164
				244	0.1008
				49	0.0232
				61	0.0050
				207	0.0108
				TOTAL ...	0.3560
MORADABAD	BILARI	BILARI	NAVAINI UDDAIYA	47	0.0437
				TOTAL ...	0.0437
			MOHAMMAD SADIKPUR	772/1053	0.0378
				772/1054	0.0234
				772/1055	0.0189
				772/1056	0.0042
				772/1057	0.0006
				902	0.0580
				TOTAL ...	0.01429
			ASAALAT NAGAR	575/7	0.0273
			KALIZPUR	575 Mi	0.0137
				TOTAL ...	0.0410
				GRAND TOTAL ...	0.5836

SCHEDULE-B**(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)**

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA EARMARKED FOR REHABILITATION
1	2	3	4	5	6
					Hectare

----- NO. OF DISPLACED FAMILIES IS "ZERO" -----

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector SAMBHAL for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR**[UNDER SUB SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]**

U.P Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD.09, Sambhal By the order of declaration made under Government Notification No. date for 0.5836 hectares of land in Village- MAKANPUR, NAVAINI UDDAIYA, MOHAMMAD SADIKPUR, ASAALAT NAGAR KALIZPUR, Pargana BILARI Tehsil BILARI, District MORADABAD is required for public purpose, namely, Project Madhya Ganga Canal project (Stage.II) though Canal Construction (Name of requiring body), I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government Notification. A Summary of Rehabilitation and Resettlement scheme is given below.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

By Order,
(Sd.) Illegible,
Collector, Moradabad.

**कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ
शुद्धिपत्र**

दिनांक : 29 अप्रैल, 2025 ई०

सं० 2137/जी०-610/2023-24(4)-निदेशालय के पत्र-संख्या-460/जी०-610/2023-24(4) दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा जनपद-जौनपुर की तहसील-बदलापुर, परगना-रारी के ग्राम-शंकरगढ़ व ब्राम्हण नवाबाद को जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-4क(2) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें त्रुटिवश ग्राम का नाम

शंकरगढ़ व ब्राम्हण नवाबाद अंकित हो गया है, जबकि ग्राम की शुद्ध नाम क्रमशः अटरा व ब्राम्हणपुर नवाबाद है।

अतः चकबन्दी आयुक्त उ०प्र० के अनुमोदन दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-460/जी०-610/2023-24(4) दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में जनपद-जौनपुर के ग्राम का नाम शंकरगढ़ के स्थान पर अटरा व ग्राम ब्राम्हण नवाबाद के स्थान पर ब्राम्हणपुर नवाबाद पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

मधु सूदन दूबे,
संयुक्त संचालक चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।

28 मई, 2025 ई0

सं0 2684/जी0-362/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-फरेन्दा, परगना-हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम-पिपरा परसौनी, तप्पा-लेहड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-सदर, जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम-भावलपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

शुद्धिपत्र

27 जून, 2025 ई0

सं0 2685/जी0-362ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-नौतनवा, परगना-हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम-धुसवा कला, तप्पा-लेहड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3138/जी0-610/2024-25(5)—निदेशालय के पत्र-संख्या-4482/जी0-610/2024-25(5) दिनांक 06 सितम्बर, 2024 द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील-रानीगंज, परगना-पट्टी के ग्राम-दूबेपट्टी को जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-4क(2) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें त्रुटिवश ग्राम का नाम दूबेपट्टी अंकित हो गया है, जबकि ग्राम का शुद्ध नाम दूबेपट्टी रामबक्श है।

अतः चकबन्दी आयुक्त उ0प्र0 के अनुमोदन दिनांक 23 जून, 2025 के क्रम में निदेशालय के पत्र-संख्या-4482/जी0-610/2024-25(5) दिनांक 06 सितम्बर, 2024 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम का नाम दूबेपट्टी के स्थान पर दूबेपट्टी रामबक्श पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

मधु सूदन दूबे,
संयुक्त संचालक चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।

18 जून, 2025 ई0

सं0 3027/जी0-168/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत

जिला पंचायत, रामपुर

01 जुलाई, 2025 ई०

उपविधि

सं० 772/तेईस-01(2024-25)एम०ए०-2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239(2) एवं धारा-230 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत, रामपुर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित है में से इसमें स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी है -

1- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2- ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी० एस०आई०डी०सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3- विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4— मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शों से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5— निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना था उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6— भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7— छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8— ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9— निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10— तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11— फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12— भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से हैं।

13— ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जन-सुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14— ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Land scaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15— प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है—

(अ) अभियंता— अभियंता, जिला पंचायत

(ब) अवर अभियंता— इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated), किया गया हो।

16— कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

17— अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18— स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19— रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20— सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारो तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21— अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रामपुर से है।

22— जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17(1) में संघटित जिला पंचायत रामपुर से है।

23— अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत रामपुर से है।

24— बहु मंजिली भवन (Multi Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25— मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से हैं, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26— भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नास या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27— आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28— व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषंगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29— संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (Processing) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30— भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31— पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards यथा संबोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, रामपुर के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1— उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी० क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोशन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्म मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1— स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा—

ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

की— प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे—विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2— प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(ग) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(घ) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3— बहु मंजिली भवन (Multi Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी।

4— अग्नि शमन प्रमाण-पत्र।

5— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I.)/लोक निर्माण विभाग व अन्य से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

6— श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ख) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि—

(अ) प्रस्तावित भवन— उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न हैं।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(ग) तकनीकी अनुदेश (Technical-Instructions)

(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लॉट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जाएगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा-तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा-तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2— निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राइवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ठके हुए पैदल पथ आदि।

3— (क) आवासीय भवन में कमरे का आकर 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ऐ0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकर 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (TOILET) का आकर 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4— (क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5— स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6—बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(इ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1,000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.) के मानक निम्नवत होंगे —

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन	फ्लोर एरिया (F.A.R.)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
1	आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
2	(ii) (i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500—2,000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
3	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
4	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
	व्यावसायिक भवन				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केंद्र, शॉपिंग माल्स, व्यावसायिक केंद्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	8
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	18
	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15

1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
	(ii) हायर सेकेन्डरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेन्ज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बसडिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ड) सेट-बेक (set-back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front)	साईड (Side)	पीछे (Side)	लैंड स्केपिंग	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
	वर्गमीटर	मीटर	मीटर	मीटर		
1	1,500 तक	3.00	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.00	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2,000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25

1	2	3	4	5	6	7
	वर्गमीटर	मीटर	मीटर	मीटर	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	
7	12,001-20,000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20,001-40,000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40,001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

(ज) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान E.C.U. (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(झ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिंस

(i) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा— संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारो तरफ बाउन्ड्री दिवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी0, राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लार्ट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जाएगा।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राईजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ज) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी	क्षैतिज दूरी
1	2	3	4
		मीटर	मीटर
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33,000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+ (0.35m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+ (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज पर

(ह) मोबाइल टावर की स्थापना

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (R.W.A.) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

(घ) जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(इ) सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, कम्पन (Vibration) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (i) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ठ) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन— जिला पंचायत रामपुर में सभी तलों पर कवर्ड में ढके भाग पर दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन

यह दर 50 रुपये प्रतिवर्ग मीटर होगी।

वेसमेन्ट की दरें 100 रुपये प्रतिवर्ग होगी

(ग) (i) भूमि की प्लॉटिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लॉटों में बाँटना।

(ii) भूमि विकास— भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी (बैंकट हॉल) आदि।

(iii) भूमि का उपभोग— भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पार्सिप आदि।

(iv) किसी परियोजना का तलपट मानचित्र (Layout Plan)

उपरोक्त ग— (i) से (iv) तक

जनपदों में यह दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। (जो कुल भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार होगी)

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा-क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा तलपट मानचित्र (Layout Plan) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा-248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ) रामपुर जनपद में पूर्णता प्रमाण-पत्र (completion certificate) की दरें 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ण) जिला पंचायत रामपुर बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दर रामपुर जनपद में 5 रुपये प्रति मीटर होगी।

नोट— (शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1— स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे। एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2— ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3— कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4— कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5— अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6— अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7— अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8— अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9— जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience) साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10— अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11— अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12— आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13— उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14— यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी।

जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानिए स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दवा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकर्ण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेवा अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(द) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1— भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जाएगी।

2— भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3— भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा-तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4— निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी० की परिधि में 30 मी० से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5— उपरोक्त उपविधि में सभी बालों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6— उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7— मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8— इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9— इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा-133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी। तथा उसके द्वारा कराये गये निर्माण कार्य की ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त का खर्च सम्बन्धित से भू-राजस्व के भांति वसूली की जायेगी।

(फ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह, अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जाएगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(घ) शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा।

(ख) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1981 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, रामपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1,000/— रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद्

(प्रशासन अनुभाग)

सूचना

दिनांक : 03 जुलाई, 2025

सं० 1225/प्रशा०-एक-उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-95 की उपधारा (1) के खण्ड-(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद स्वागत अधिकारी सेवा विनियमावली-1999 में संशोधन किये जाने के संबंध में मा० निदेशक मण्डल की 270वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2025 के मद संख्या-270/06 पर प्रस्तुत किया गया। जिसे मा० निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया है :-

स्वागत अधिकारी

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् स्वागत अधिकारी नियमावली, 1999

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
1	2
भाग-चार अर्हतायें	भाग-चार अर्हतायें
10. आयु— “सेवा के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की 1 जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये, और 1 जुलाई को, चूँकि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की होनी चाहिए, और 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।	10. आयु— “सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु भर्ती वर्ष के 1 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी, परन्तु अनुसूचित जातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।
भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया	भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया
14. (i) उक्त पदों पर सीधी भर्ती शासनादेशों के अनुरूप एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। (ii) चयन समिति रिक्त पदों को प्रचलित दैनिक पत्रों में विज्ञापित करेगी तथा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जाँचोपरान्त जिन अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र ठीक पाए जाते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगी। (iii) लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25-25 अंकों के चार-खण्ड होंगे, जिनमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, हिन्दी भाषा तथा स्वागत अधिकारी के पद के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। (iv) लिखित परीक्षा में रिक्तियों के तीन गुनी संख्या में सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। (v) साक्षात्कार के अंकों का निर्धारण शासनादेशों के अनुसार होगा।	14. (i) उक्त पदों पर सीधी भर्ती उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी। (ii) चयन का आधार— लिखित परीक्षा।

1

2

- (vi) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों का योग करने के उपरान्त श्रेष्ठता सूची बनायी जायेगी तथा रिक्त पदों की संख्या के बराबर योग्यता क्रम से अभ्यर्थियों के नियुक्ति-पत्र भेजा जायेगा।
- (vii) बराबर अंक पाने की दशा में अधिक आयु वाले व्यक्ति को वरियता दी जायेगी।
- (viii) रिक्तियों के 25% के बराबर एक प्रतीक्षा सूची बनायी जायेगी, जो परीक्षाफल घोषित होने के एक वर्ष तक वैध होगी।

2. अतः मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 आवास विकास परिषद स्वागत अधिकारी सेवा-विनियमावली-1999 में भाग-चार अर्हाताएं के बिन्दु संख्या-10 आयु, भाग-पाँच भर्ती की प्रक्रिया बिन्दु संख्या-14 में संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रामकुमार पुत्र कल्पू है जो मेरे खतौनी परिवार रजिस्टर नकल, मतदाता पहचान पत्र, निवासी प्रमाण पत्र व बैंक पासबुक तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4984 3705 7544 में मेरा नाम कुमारे पुत्र कल्पू अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रामकुमार पुत्र कल्पू के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रामकुमार पुत्र स्वर्गीय कल्पू,
ग्राम बौनाजोत पोस्ट गागापुर,
थाना त्रिलोकपुर तहसील इटवा,
जनपद-सिद्धार्थनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम भानमती देवी (BHANMATI DEVI) पत्नी गांधीलाल है जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड तथा मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7196 6514 9481 में मेरे नाम की स्पेलिंग BHANUMATI DEVI अंकित हो गयी है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भानमती देवी (BHANMATI DEVI) पत्नी स्व0 गांधीलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

भानमती देवी पत्नी स्व0 गांधीलाल,
निवासिनी-स्थाई पता-ग्राम व पोस्ट नेवादा,
जिला आजमगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सात्विक सिंह पुत्र श्री मनीष कुमार है जो कि उसके जन्म

प्रमाण पत्र/स्कूल में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं०-6566 9802 3399 में उसका नाम दीपक सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सात्विक सिंह पुत्र श्री मनीष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नीता यादव पत्नी मनीष कुमार,
नि० 103 बी ब्लॉक सी० बी० सी० आई० डी०,
कालोनी विकल्प खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

सूचना

फर्म मेसर्स इण्डिया एसोसिएट्स, सम्राट विक्रम कालोनी, गली नं० 3 चिलकाना रोड सहारनपुर का पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक, फर्मस सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर से दि. 21 जुलाई, 2018 को हुआ था फर्म में रजिस्ट्रेशन के समय शमशाद अली व कुरबान पुत्र नानू हसन, नि. 58 बाजोरिया रोड, दाबकी जुनारदार सहारनपुर पार्टनर थे दि 03 जुलाई, 2023 को पार्टनर कुरबान पुत्र नानू हसन नि० 58 बाजोरिया रोड, दाबकी जुनारदार ने फर्म से स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया और उसी तिथि को फर्म में आशू पुत्र शमशाद अली मं.नं० 2661 छवि गैस गोदाम तेली वाला पाडली गुर्जर डा मिलाप नगर रुडकी जिला हरिद्वार भागीदार बन गये है दि. 18 जुलाई, 2025 की पार्टनर शिप डीड के अनुसार वर्तमान में उपरोक्त फर्म में शमशाद अली पुत्र सुबारती व आशू पुत्र शमशाद अली पार्टनर रह गये हैं।

शमशाद अली (भागीदार),
सम्राट विक्रम कालोनी, मेसर्स इण्डिया एसोसिएट,
गली नं. ३, चिलकाना रोड सहारनपुर,
हाल नि० 2661 छवि गैस गोदाम,
ग्राम तेली वाला पाडली गुर्जर डा० मिलाप नगर,
रुडकी जिला, हरिद्वार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विभाष वर्मा पुत्र राजीव रंजन है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख/स्कूल रिकार्ड में अंकित है। मैंने

अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम विभाष वर्मा से बदलकर रुद्र वर्मा (Rudra Verma) रख दिया गया है। भविष्य में मेरे पुत्र को रुद्र वर्मा पुत्र राजीव रंजन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजीव रंजन पुत्र विनय कुमार वर्मा,
निवासी सिसिर-2/102, मौसम विहार,
कालिन्दीपुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम Mohammad Asfaque Siddque पुत्र Mohammad Salim है जो मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनु०-5134882) अंकित है त्रुटिवश मेरे इण्टरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र (अनु०-23638649) में मेरा नाम Ashfaq Siddiqui अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

Mohammad Asfaque Siddque,
पुत्र Mohammad Salim,
निवासी- अम्बेडकर नगर नौका टोला,
वार्ड नंबर-7 पडरौना कुशीनगर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष्मान शर्मा पुत्र सत्य प्रकाश शर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5076 3768 8183 में उसका नाम हिमांशु शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष्मान शर्मा पुत्र सत्य प्रकाश शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सत्य प्रकाश शर्मा,
पुत्र भरत भूषण शर्मा,
निवासी केशोपुर, वार्ड नं०-12,
सहजनवा, गोरखपुर, (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का शुद्ध नाम प्रेम कुमारी है जो उनके आधार कार्ड तथा हाईस्कूल के प्रमाण पत्र सहअंक पत्र (अनुक्रमांक-0246692) वर्ष 1984 में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के प्रमाण पत्र सहअंक पत्र (अनुक्रमांक-8292342) वर्ष 2024 में मेरी माता जी का नाम पम्मी वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मानस वर्मा पुत्र मनोज कुमार वर्मा,
निवासी-495/125 मायानगर,
निराला नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रित्विक सिंह पुत्र निखिल राय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम रित्विक सिंह से बदलकर नित्यम सिंह (Nityam Singh) पुत्र निखिल राय रख दिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को नित्यम सिंह पुत्र निखिल राय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रियंका सिंह,
पत्नी निखिल राय,
निवासी-भदवर, देउअरा,
काशीपुर, जिला-वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नीतू यादव पुत्री राम मिलन यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-7090 9501 0067 में मेरा नाम आरती अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नीतू यादव पुत्री राम मिलन यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नीतू यादव पुत्री राम मिलन यादव,
पता- ग्राम कुरिया लवायन कला,
पोस्ट-टी०एस०एल० नैनी थाना,
औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम विहान यादव पुत्र विक्रम सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०- 8649 4775 7821 में उसका नाम विहान विक्रम यादव अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विहान यादव पुत्र विक्रम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विक्रम सिंह पुत्र गंगा प्रसाद,
पता- धनापुर, वार्ड न०-9,
नगर पंचायत हण्डिया, प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पत्नी का सही नाम कौशिल्या देवी (KAUSHILYA DEVI) पत्नी रामबचन सिंह यादव जो उनके आधार कार्ड सं०-8516

3516 2415 में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सर्विस बुक अभिलेख में पत्नी का नाम (KAOLISHLA YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

रामबचन सिंह यादव,
ग्राम सहादतपुर पोस्ट अलावलपुर,
जिला गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुषमा पत्नी स्व० मन्ना है जो मेरी खतौनी, बैंक पास बुक, जाति प्रमाण पत्र, डिसेविलिटी कार्ड सं०—UP2510219720180335 तथा उप जिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—2453 0292 5868 में मेरा नाम कुशमा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुषमा पत्नी स्व० मन्ना के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुषमा, पत्नी स्व० मन्ना,
नि०—ग्राम तालिबपुर रहली,
पो० फतेहपुर—84 तहसील सफीपुर,
जिला उन्नाव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा सिंह पुत्र राजीव कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—6159 8125 6178 में उसका नाम संकर्षण सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णा सिंह पुत्र राजीव कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजीव कुमार सिंह,
पुत्र श्री शम्भुनाथ सिंह,
निवासी— 83बी, स्वपनलोक कालोनी,
लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रज्ञा पाण्डेय (PRAGYA PANDEY) पुत्री जितेन्द्र प्रसाद पाण्डेय है जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—9777 4651 6073 में मेरा नाम (PRAJNYA PANDEY) अंकित हो गया है जो कि गलत है। जिसका सही किया जाना आवश्यक है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम (PRAGYA PANDEY) पुत्री जितेन्द्र प्रसाद पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रज्ञा पाण्डेय,
पुत्री जितेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
नि०—चाचपारा, मिश्रपुर, जगदीशपुर,
जिला सुल्तानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम करुणा सिंह पुत्री केशव कुमार सिंह है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे एल०आई० सी० के बाण्ड पेपर सं०—312226200 में मेरा नाम अशिता सिंह पुत्री केशव कुमार सिंह अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम करुणा सिंह पुत्री केशव कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

करुणा सिंह पुत्र केशव कुमार सिंह,
निवासिनी—सहतवार, पूरब टोला बलिया, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मालविका तिवारी पुत्री ओम प्रकाश है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—8297 2564 6895 में उसका नाम स्वीटी देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मालविका तिवारी पुत्री ओम प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ओम प्रकाश,
ग्राम शिवगढ़ पोस्ट-देवकली,
जिला प्रतापगढ़ (उ०प्र०)।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my son is Abhinav Rajbhar son of Dayashankar Rajbhar, which is mentioned in his educational records. Due to mistake, my son's name has been mentioned as Priyanshu in his Aadhar Card No. 7516 3026 1970, which is a household name. In future, my son should be known and recognized by his correct name Abhinav Rajbhar son of Dayashankar Rajbhar.

It is hereby certified that all the legal formalities in relation to the above have been completed by me myself.

Sarita Rajbhar,
Wife of Dayashankar Rajbhar,
Address- 249 Porai Khurd,
Khetasarai, Jaunpur, U.P.

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० ऑचल प्रोपर्टीज, 716/717 डैम्पियर नगर, मथुरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं -

यह कि दिनांक-29 सितम्बर, 2010 को फर्म के साझेदार श्री सिद्धार्थ कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल अग्रवाल निवासी-716/717 डैम्पियर नगर, मथुरा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। दिनांक 19 अगस्त, 2013 को फर्म के साझेदार श्री मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र श्री लाडली प्रसाद अग्रवाल निवासी-उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 20 अगस्त, 2013 को श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल पत्नी स्व० मुरारी लाल अग्रवाल निवासी-डैम्पियर नगर मथुरा एवं श्री सिद्धार्थ कुमार

अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल अग्रवाल निवासी-उपरोक्त को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक को ही श्री महेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री लाडलीप्रसाद अग्रवाल निवासी-उपरोक्त तथा श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लाडलीप्रसाद अग्रवाल निवासी-उपरोक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। दिनांक-25 जुलाई, 2025 को फर्म के साझेदार श्री लाडली प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व० रामस्वरूप अग्रवाल निवासी-उपरोक्त तथा सिद्धार्थ कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल अग्रवाल निवासी-डैम्पियर नगर मथुरा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में आंचल अग्रवाल तथा श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल साझेदार हैं।

ऑचल अग्रवाल,
साझेदार,
मे० ऑचल प्रोपर्टीज,
716/717 डैम्पियर नगर, मथुरा।

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है फर्म मेसर्स दि हिमालया कोल्ड स्टोरेज कम्पनी पता-बरहज, जिला देवरिया उ०प्र० पंजीकृत संख्या-73246 है यह कि 02 साझेदार डा० मुमताज अहमद इराकी पुत्र स्व० शेख मोहम्मद हासिम एवं श्री अब्दुल रहीम पुत्र स्व० शेख जुम्नन अली साझेदार और 10 नाबालिग साझेदार क्रमशः श्री इम्तियाज अहमद पुत्र स्व० शमशुल हक, श्री इफितखार अहमद पुत्र श्री शमशुल हक, श्री मिस्बाहुल हक पुत्र स्व० नूरुल हक, श्री रिजवानुल हक पुत्र स्व० नूरुल हक, श्री परवेज आलम पुत्र स्व० अमीर हमजा, श्री जावेद आलम पुत्र स्व० हाजी अमीर हमजा, श्री शकील अहमद पुत्र स्व० ऐनुल हक, श्री नसीम अहमद पुत्र स्व० ऐनुल हक, श्री नफीसुल हक पुत्र स्व० इनामुल हक एवं श्री नौसाद आलम पुत्र स्व० इनामुल हक हैं।

दिनांक 08 जुलाई, 1970 को श्री परवेज आलम पुत्र स्व० अमीर हमजा की मृत्यु होने के कारण निकल रहे हैं तथा दिनांक 01 जनवरी, 1971 को नई साझेदारी बनी जिसमें श्री मुशीर आलम पुत्र स्व० हाजी हमजा नाबालिग साझेदार शामिल हो गये

दिनांक 26 मार्च, 1976 को नई साझेदारी बनी जिसमें श्री मिस्बाहुल हक पुत्र स्व० नूरुल हक नाबालिग से बालिग हो कर साझेदार बन गये।

दिनांक 08 मार्च, 1977 को नई साझेदारी बनी जिसमें श्री अब्दुल रहीम पुत्र स्व० जुम्न अली अपनी स्वेच्छा से निकल रहे हैं एवं नाबालिग साझेदार श्री शमीम अहमद पुत्र स्व० ऐनुल हक शामिल हो रहे हैं एवं श्री रिजवानुल हक पुत्र स्व० नूरुल हक नाबालिग से बालिग हो कर साझेदार बन गये।

दिनांक 15 जनवरी, 2025 को एक नई साझेदारी बनी जिसमें दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 को डा० मुमताज अहमद इराकी पुत्र स्व० शेख मोहम्मद हासिम एवं दिनांक 01 नवम्बर, 2015 को श्री इफितखार अहमद पुत्र शमशुल हक मृत्यु होने के कारण निकल रहे एवं 02 साझेदार श्री मो० सैम इफितखार पुत्र स्व० इफितखार अहमद एवं मो० साकिब पुत्र स्व० इफितखार अहमद शामिल हो रहे हैं और 09 नाबालिग साझेदार क्रमशः श्री मुशीर आलम पुत्र स्व० हाजी हमजा, श्री शमीम अहमद पुत्र स्व० ऐनुल हक, श्री इम्तियाज अहमद पुत्र स्व० शमशुल हक, श्री मिस्बाहुल हक पुत्र स्व० नूरुल हक, श्री जावेद आलम पुत्र स्व० हाजी अमीर हमजा, श्री शकील अहमद पुत्र स्व० ऐनुल हक, श्री नसीम अहमद पुत्र स्व० ऐनुल हक, श्री नफीसुल हक पुत्र स्व० इनामुल हक एवं श्री नौसाद आलम पुत्र स्व० इनामुल हक जो कि अब नाबालिग साझेदार से बालिग साझेदार हो गये हैं।

वर्तमान में कुल 12 साझेदार क्रमशः श्री इम्तियाज अहमद, श्री मिस्बाहुल हक, श्री रिजवानुल हक, श्री जावेद आलम, श्री मुशीर आलम, श्री शकील अहमद, श्री नसीम अहमद, श्री शमीम अहमद, श्री नफीसूल हक, श्री नौसाद आलम, श्री मो० सैम इफितखार एवं मो० शकीब है। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

रिजवानुल हक,
साझेदार,

मेसर्स—दि हिमालया कोल्ड स्टोरेज कम्पनी,
पता—बरहज, जिला देवरिया उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रुद्राक्षी सोनकर पुत्री बृजेश कुमार सोनकर हैं जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 3714 2091 3883 में मेरा नाम स्वरा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रुद्राक्षी सोनकर पुत्री बृजेश कुमार सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाता है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रुद्राक्षी सोनकर,
पुत्री बृजेश कुमार सोनकर,
पता—157 कृष्णा नगर,
कीडगंज प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदिति यादव पुत्री जितेन्द्र कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—7367 5661 0928 में उसका नाम सोनी यादव हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अदिति यादव पुत्री जितेन्द्र कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जितेन्द्र कुमार यादव,
पता—ग्राम सदरेपुर पोस्ट सराय ममरेज,
तहसील हंडिया जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड सं०—4686 0338 5434 में मेरा नाम निधि यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे शैक्षिक अभिलेख के अनुसार मेरा वास्तविक नाम प्रीति यादव है। मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

प्रीति यादव,
पुत्री दिवाकर यादव,
पता—ग्राम व पोस्ट—पिछोरा,
जनपद—गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रजनी कुमारी पुत्री कंजा कुमार है, जो

उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-8397 6284 4151 में उसका नाम मरियम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रजनी कुमारी पुत्री कंजा कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कंजा पुत्र श्याम लाल,
निवासी— अहमदपुर पावर,
तहसील सदर जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम यथार्थ साहू पुत्र राजेश कुमार साहू है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-4165 7950 3726 में उसका नाम यशवीर साहू अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम यथार्थ साहू पुत्र राजेश कुमार साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेश कुमार साहू,
पता-165/14ए, आजाद नगर,
साउथ मलाका, प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० रानू यादव पुत्री राम स्वरूप यादव है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-9022 4058 3322 में मेरा नाम रेनू यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० रानू यादव पुत्री राम स्वरूप यादव पत्नी अरुण कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० रानू यादव, पत्नी अरुण कुमार,
निवासिनी—शीतलपुर उर्फ शंकरपुर,
जगतपुर, रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

मेरे पुत्र के सभी शैक्षिक अभिलेखों में व जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम शिवम सरोज है जो सही है। किन्तु भूलवश उसके आधार कार्ड संख्या-3343 4838 9753 में उसका नाम राज बहादुर अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में उसे शिवम सरोज पुत्र लालपति के नाम से ही जाना व पहचाना जाय।

लालपति, पुत्र जहांगीर,
निवासी— ग्राम मेंहदीपुर उर्फ पूरे इन्दा,
पोस्ट मैलहन तहसील फूलपुर,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० श्री बिहारी जी बल्क कैरियर, वैभव नगर, बरारी मथुरा-281005 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है।

यह कि दिनांक 07 अगस्त, 2025 को श्री पवन कुमार पुत्र श्री निरोत्तम सिंह निवासी—बबूरी, बरारी मथुरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में इन्द्रवती, श्री अनिल कुमार दीक्षित, श्री सुरेशचन्द्र यादव तथा श्री पवन कुमार साझेदार है।

इन्द्रवती,
साझेदार,
मे० श्री बिहारी जी बल्क कैरियर,
वैभव नगर, बरारी मथुरा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ओम शिव कन्सट्रक्शन्स पता—म०नं० 724 सिविल लाईन, साउथ, तहसील सदर मुजफ्फर नगर उ०प्र०-251002 जिसकी पंजीकरण सं०-18475—एम

दिनांक 14.07.2022, उक्त फर्म में महीपाल सिंह, कुलदीप सिंह, योगेन्द्र कुमार, भीष्म सिंह पार्टनर थे, जिसमें दो पार्टनर श्री योगेन्द्र कुमार व भीष्म सिंह दिनांक 01 अप्रैल 2025 को स्वेच्छा से साझेदारी समाप्त की है और श्री पुष्कर गर्ग फर्म में सम्मिलित हुआ है, अब फर्म में महीपाल सिंह, कुलदीप सिंह व पुष्कर गर्ग साझेदार है, फर्म में कोई विवाद नहीं है।

महीपाल सिंह,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ग्रीन तराई एग्रो सीड्स, ग्राम कोटा अली नगर, पोस्ट रुद्रा, बिलास शुगर मिल्स, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, उ०प्र० जिसकी पंजीकरण सं० एम०बी०डी०-3374, दिनांक 16.12.2011 की पंजीकृत फर्म दिनांक 13.11.2007 1. श्री राजीव कुमार अग्रवाल 2. श्री राजेश्वर सरन, 3. श्रीमती साधना अग्रवाल के द्वारा निष्पादित की गयी थी। फर्म के पार्टनर राजेश्वर सरन की मृत्यु दिनांक 13.11.2014 के पश्चात् संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 24.11.2014 को निष्पादित की गयी थी। दिनांक 01.04.2018 को निष्पादित संशोधित पार्टनरशिप फर्म में श्रीमती साधना अग्रवाल के रिटायरमेन्ट के पश्चात् उसके स्थान पर श्री शगुन अग्रवाल को शामिल किया गया। फर्म के वर्तमान पार्टनर 1. श्री राजीव कुमार अग्रवाल (50 प्रतिशत), 2. श्री शगुन अग्रवाल (50 प्रतिशत)।

राजीव कुमार अग्रवाल,
पार्टनर,
मेसर्स ग्रीन तराई एग्रो सीड्स,
ग्राम कोटा अली नगर, पोस्ट रुद्रा,
बिलास शुगर मिल्स, तहसील बिलासपुर,
जिला रामपुर, उ०प्र०।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स किसान इण्डस्ट्रीज पता ग्राम ओदरहना महेवागंज, जिला-लखीमपुर खीरी से पंजीकृत है। यह कि 3 साझेदार- श्री संदीप अग्रवाल एवं श्री अतुल अग्रवाल, साझेदार थे। दिनांक 05.03.2021 को नई साझेदारी बनी,

जिसमें क्रमशः श्री अनिल कुमार अग्रवाल साझेदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं दिनांक 03.04.2023 को नई साझेदारी बनी, जिसमें क्रमशः श्री शिव कुमार अग्रवाल साझेदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं तथा इसी तिथि से श्री अनिल कुमार अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से साझेदारी से निकल रहे हैं। वर्तमान में उक्त फर्म में कुल 03 साझेदार क्रमशः श्री संदीप अग्रवाल, श्री अतुल अग्रवाल एवं श्री शिव कुमार अग्रवाल साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

संदीप अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स-किसान इण्डस्ट्रीज।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शिव प्रापर्टीज रियल इस्टेट एंड कॉन्सल्टिंग पता शाप नंबर-186 सहारा शापिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड लखनऊ से पंजीकृत है। यह कि 3 साझेदार- श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रतीक कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव साझेदार थे। दिनांक 01.11.2022 को नई साझेदारी बनी, जिसमें फर्म का पता परिवर्तन होकर नया पता शाप नं०-एस-286 सहारा शापिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड लखनऊ हो गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में कुल 03 साझेदार क्रमशः श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रतीक कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव,
साझेदार,
मेसर्स-शिव प्रापर्टीज रियल
इस्टेट एंड कॉन्सल्टिंग।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जय साहू पुत्र संजय कुमार साहू है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 2563 3326 6149 में उसका नाम ऐश्वर्य कुमार साहू अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जय साहू पुत्र

संजय कुमार साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।
एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के
सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा
पूर्ण की गई हैं।

संजय कुमार साहू,
पता-289/224 ओल्ड बैरहना,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
पुत्री का सही नाम समाराह शेख था जो उसके शैक्षिक
अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड
सं० 8745 2085 6823 में उसका नाम समाराह अरुण
अंकित हो गया है जो कि गलत हैं। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण
संसाधन प्राधिकरण के पोर्टल रजिस्ट्रेशन नं०
RSUP202404079015 दिनांक 07.04.2024 एवं जनपद
न्यायालय के वाद सं० 2385/2024 कम्प्यूटरीकृत वाद
सं० D 202402030002385 के अनुसार मेरी दत्तक पुत्री
का सही नाम आर्या अरुण है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के
सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा
पूर्ण की गयी है।

अरुण कुशवाहा,
पुत्र स्व० रोहित लाल कुशवाहा,
म०नं० 656/260/3बी०
सदियापुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म
मेसर्स राजवंश इन्फो एन्टरप्राइजेज पंजीकरण संख्या-
27222-M की पार्टनरशीप डीड दि० 15.04.2014 के
अनुसार साझीदार- 1 श्री निर्लेप कुमार, 2. श्रीमती उषा
गर्ग, 3. श्रीमती हनी राजवंशी थे। फर्म साझेदार श्री निर्लेप
कुमार का स्वर्गवास दि० 15.07.2024 में हो जाने के
पश्चात फर्म की संशोधित पार्टनरशीप डीड दि० 08.05.
2025 के अनुसार सभी साझीदारों के द्वारा उनकी विधिक
उत्तराधिकारी/धर्मपत्नी श्रीमती गार्गी गुप्ता की संयुक्त
सहमती से स्व० साझीदार निर्लेप कुमार की फर्म
हिस्सेदारी को उनके विधिक उत्तराधिकारी किर्याँश गर्ग
(नाबालिग पुत्र) को हस्तंतरित कर दिये है व उनके
बालिग होने तक फर्म में श्रीमती गार्गी गुप्ता विधिक
अभिभावक की हैसियत से कार्य करेंगी। श्रीमती गार्गी
गुप्ता पत्नी स्व० निर्लेप कुमार के द्वारा फर्म से सम्बंधित
अधिकार, हित और दावों को विधिक उत्तराधिकारी किर्याँश
गर्ग (नाबालिग पुत्र) को समर्पण कर दिये हैं।

उषा गर्ग,
साझीदार,

मे० राजवंश इन्फो एन्टरप्राइजेज,
जी-301, स्टेलर पार्क, सी-58/24,
सैक्टर-62, रसूलपुर, नवादा, नोएडा,
जिला गौतमबुद्धनगर।